

मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग

//आदेश//

भीपाल, दिनांक | दिसंबर, 93

क्रमांक एफ-1/140/93/ए-1/38 भौतिक रसायन-लोक सेवा आयोग द्वारा
निम्नलिखित अभ्यर्थियों को स्थानापन्न सहायक प्राध्यापक भौतिक रसायन
के पद पर वेतनमान रु 2200-75-2800-100-4000 में आगामी आदेश पर्यन्त
अस्थाई रूप से उनके नाम के समक्ष दर्शित स्थान पर नियुक्त किया जाता है। यह
नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा किसी भी समय बिना सूचना के समाप्त की जा
सकेगी।

क्र० नाम एवं वर्तमान पता महाविद्यालय जहाँ पदस्थ किया जाता है
1. 2. 3.

अकादमिक

8. श्री आलोक मोहन

63, अनुपम नगर विद्यालय
के पास ग्वालियर।

शाओरनातकोत्तर महारु गुना।

18. श्री रामकृष्ण कुमार श्रीवास्तव
द्वारा श्री ज्योति प्रसाद शर्मा
लगान कम्पाउन्ड सीहोर।

शाओरुनरसिंहगढ़।

भौतिक रसायन

26. श्री विजय कुमार सिंह
कमरो नं०-141 छात्रावास
स-3 भारतीय खोन विधापोठ
धनबाद बिहार।

शाओरुमरुगृहविज्ञान महारु जबलपुर।

2/ नियुक्त प्रत्याशी को जिला प्रिक्रिसालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-
पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।


3/ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति/विकलांग श्रेणी के प्रत्याशीयों के
आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है। उक्त श्रेणी के प्रत्याशीयों
को उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य
होगा।

4/ पदभार ग्रहण करते समय आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत
करना होगा एवं साथ छाया प्रतियां सत्यापित करना होगा। सत्यापन के पश्चात
मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिया जायेगा।

// 2 // 4

5/ नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को दिनांक 28 दिसंबर, 93 तक पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा। शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों/निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोजता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,


॥हीरालाल त्रिपठी॥


उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग
दूरभाष नं०-556233

पृ०क्र० एफ-1/140/93/ए-1/38 ॥भौतिक रसायन॥ भोपाल दिनांक 1 दिसंबर, 93
प्रतिलिपि-

1. सचिव मध्य लोक सेवा आयोग इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्य भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्य खालियर।
4. निज सचिव, सहायकार (एम०ए०)।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त नयाग, उच्च शिक्षा मध्य।
6. संबंधित प्रशासक, मध्य मध्य।
7. संबंधितगण।

नागवंशी/.....


उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक फरवरी, 94

क्रमांक स्फ-1/140/93/ए-1/38-भौतिकशास्त्र-विभागीय समसंख्यक आदेश
दिनांक 1.12.93 में आंशिक संशोधन करते हुए सरल क्रमांक 26 श्री विजय
कुमार सिंह के स्थान पर श्री विनय कुमार सिंह कमरा नं-4 छात्रावास त-3
भारतीय खान विद्यापीठ धनबाद, बिहार पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

॥ हीरालाल त्रिवेदी ॥

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

दूरभाष नं-556233

पृ०क्र० स्फ-1/140/ए-1/38

भोपाल, दिनांक

फरवरी, 94

प्रतिलिपि-

1-3-94

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा जबलपुर संभाग।
3. प्राचार्य, शा०मो०ए०गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर की ओर उनके ज्ञाप क्र० 2030/अराज/स्था/93-94 दिनांक 30.12.93 के संदर्भ में अग्रेषित।
4. श्री विनय कुमार सिंह नव नियुक्ति सहायक प्राध्यापक भौतिकशास्त्र शा०मो०ए०गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर।

उप सचिव,

नागवंशी/25.2.94

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Est. g.

Printed
13/94



25/2/94

विषय :- रसायन शास्त्र

- | 111 | 121 | 131 | 141 |
|---------------------------|---|-----|---|
| 1. श्री प्रवीण जैन | 10/3, पीली विल्डिंग,
पंजाब नेशनल बैंक के पीछे,
मारवाड़ी रोड, भीमाल | | शासकीय महाविद्यालय
धमतरी, रायपुर |
| 2. सुश्री अल्का सिंहल | रेवती सदन, वाचनालय मार्ग,
त्रिदिशा । | | शासकीय महाविद्यालय, तिरा
त्रिदिशा । |
| 3. श्री राजीवकुमार गुक्ला | व्दारा :- एम0पी0शर्मा,
प्राध्यापक, रसायन शास्त्र,
अधिगाल महाविद्यालय, मुरैना मनेन्द्रगढ़, | | -शासकीय महाविद्यालय,
तरगुजा । |
| 4. श्रीमती अर्चना अग्रवाल | 89, मोतीलाल नेहरूनगर,
दशहरा मैदान, उज्जैन | | शासकीय महाविद्यालय,
वडनगर । उज्जैन । |
| 5. श्रीमती अर्चना खरे | व्दारा :- डा0 आर0के0 खरे,
607, शांतिनगर, दमोह
नाका जवल्पुर 482002 | | शासकीय महाविद्यालय,
गाडरवारा । नरसिंहपुर । |
| 6. सुश्री अंजू गुप्ता | 433, कल्पानगर, रायसेन
रोड, नियम सोनागिरी,
भीमाल - 462021 | | शासकीय महाविद्यालय,
विपरिया । होशंगाबाद । |
| 7. सुश्री ममता ओझा | ओझा कुटीर, वी-सी,
टीवाई स्टेट, जवल्पुर | | शासकीय महा0 नरसिंहपुर |
| 8. श्रीमती सुनीता इन्दरि | 28, जानकीनगर, श्रेणः
इन्दौर - 452001 | | शासकीय महाविद्यालय,
देवास |
| 9. श्री ततीश शित्तूत | एक-5, युनिवर्सिटी कैम्पस,
त्रिजयाराजे नगर, उज्जैन
नि - 456010 | | शासकीय महाविद्यालय,
डोंगरगढ़ । राजनांदगांव । |
| 10. कु0 सीमा कंसल | 110141 मालवीय नगर,
भीमाल - 462003 | | शासकीय महाविद्यालय,
देवास |
| 11. सुश्री नीरजा सकीना | व्दारा :- कुतुम सकीना,
प्राचार्य, शासकीय उ0मा0
विद्यालय, झावुआ | | शासकीय महाविद्यालय,
कुशी । धार । |
| 12. डा0 रत्ना पाठक | 615-ए, पश्चिम कंठापुर,
जवल्पुर - 482001 | | शासकीय महाविद्यालय,
गाडरवारा । नरसिंहपुर । |
| 13. सुश्री उषा शुक्ला | C/o सहायक प्राध्यापक, एक/5,
सिंचाई विभाग कालोनी,
रेडियो कालोनी, सिविल
लाईन के पीछे, सीमा | | शासकीय महाविद्यालय,
अमरपाटन । सतना । |

de

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

मोबाल, दिनांक 15 जून, 1987.

क्रमांक एक 1/ 28 /87/ए-1/38 - मध्यप्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण
निका, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एक-ए-6-30-86-एम३।३
द्वारा 2098 राजपत्र [अताधारण] में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त
अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ स्व से कार्यरत निम्नलिखित त्हायक प्राध्यापक
को स्थानाबन्धन स्व से आगामी आदेश तक इनायतुल्लाह विषय के त्हायक
प्राध्यापक पद पर मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा [महाविद्यालयीन शाखा] में स् 700-40-
1100-50-1300-असेलमेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय
में परिबीक्षा पर नियुक्त किया जाता है ।

प्रत्याशी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
क्रमांक 183- कुमारी कल्पना सुशाने वारम्मा श्री मोपान राम सुशाने	24-4-1962	शासकीय महाविद्यालय, बुन्दारदेव 82
शासकीय महाविद्यालय, बुन्दारदेव		

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पास जाने की प्रत्याशा में की जाती है । यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इत आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व तुल्यगतर भरती नियमों के अनुसार ^{नियुक्त} किये गए हैं ।

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 1987, 1987.

क्रमांक एफ 1/ 28 /87/ए-1/38 - मध्य प्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण
निष्पत्ति, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-ए-6-30-86-एम 11
द्वारा म090 राजपत्र [असाधारण] में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त
अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ त्म से कार्यरत निम्नलिखित त्हायक प्राध्यापक
को स्थानापन्न स्म से आगामी आदेश तक ^{राज्यशासन} विषय के त्हायक
प्राध्यापक पद पर मध्य प्रदेश वैश्वविद्यालय [महाविद्यालयीन शाखा] में रु0 700-40-
1100-50-1300-असेल्मेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समथ अंकित महाविद्यालय
में परिचीक्षा पर नियुक्त किया जाता है ।

प्रत्यागी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
अजय 174. हु0 किरन सिंह आत्मजा लो पिनाल सिंह मेहरा [शासकीय महाविद्यालय, उम्दागढ़]	13-1-1962	शासकीय महाविद्यालय, उम्दागढ़ [उम्दागढ़]

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र तत्प्रापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पास जाने की प्रत्याशा में की जाती है । यदि उनका चरित्र तत्प्रापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के त्थापत की जा सकेगी ।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इत आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व त्सांगत भारतीय नियमों के अनुसार/किर
नियुक्त
गए हैं ।

कार्यालय सचिव, जनमागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय- शास. मा.ह.गृहविज्ञान एव विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर

क्रमांक 3072
प्रति

दिनांक 5.9.22

✓ श्री सोमा रानी
श्री नरेश कुमार
फ्लैट नं 107 सोनिया अपार्टमेंट
सिविल लाइन जबलपुर मी नं 8901309722

विषय - अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया 2022-2023 के संबंध में आमंत्रण पत्र विषयक
संदर्भ - आपका आवेदन क्रमांक 21050066 Date 02.9.22


विषयानुसार एतद द्वारा सूचित किया जाता है आपका शास. मा.ह.गृहविज्ञान एव विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर में रसायनशास्त्र विषय हेतु अतिथि विद्वान के रूप में आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि, आपको शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में अतिथि विद्वान हेतु आवश्यकता पढ़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा।


यह आमंत्रण पत्र निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :

1. आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण कार्य किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेज आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यक्रम में वृद्धि भी की जा सकती है।
2. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कड़िका 5.1 अनुसार होगा।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022-23 अर्थात् 30 जून 2023 तक के लिए सीमित होगा।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनमागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र एव पुलिस या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में 29 अथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदक को आवेदित महाविद्यालय में दिनांक 06-09-2022 तक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।
8. आवेदित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा।
9. आपको शासन को आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एव शर्तों के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।

क्रमांक 3073
प्रतिलिपि

1. क्षेत्रीय अति सचिव उर्फ जबलपुर संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यालयीन प्रति।




सचिव
Principal
Govt. M. H. College of Home Sc. &
Co. For Women, Jabalpur
दिनांक 5.9.22


सचिव
जनमागीदारी समिति
Principal
Govt. M. H. College of Home Sc. &
Co. For Women, Jabalpur

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक- 10/6/2009

क्रमांक एफ-1/88/2008/1/अडतीस-राज्य शासन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित अन्य पिछडा वर्ग की उम्मीदवारों को 2 वर्ष की परिवर्द्धा अवधि पर सहायक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र के पद पर वेतनमान रूपये 8000-275-13500 में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हुए पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक	नाम	वर्ग	पदस्थापना का स्थान
1	2	3	4
1.	सुश्री लीना राय	अन्य पिछडा वर्ग	शासकीय(मोहो) गृह विज्ञान महावि० जबलपुर

2. नियुक्त उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।

3. इस नियुक्ति में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछडा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबन्धों का और अधिनियम के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण सज्जान है ।

निरन्तर.....

कार्यालय सचिव जनभागीदारी समिति शासकीय मो. ह. गृह विज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय, स्वशासी,
जबलपुर म. प्र.

क्रमांक 12168
मो. ह. / 06

जबलपुर दिनांक 14.9.07

आमंत्रण पत्र

प्रति, ✓
Dr. (Smt.) Mamta Singhvi
59, Saket Nagar, Vivakanand ward
M.R. 4 Road, Badi, U.K. Hari
Jabalpur (M.P.)

हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि आपको इस महाविद्यालय के विषय रसायनशास्त्र में रिक्त शिक्षकीय पदों पर "अतिथि विद्वानों से अध्यापन व्यवस्था" के अन्तर्गत अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाता है। प्रत्येक व्याख्यान की अवधि 40 मिनट एवं मानदेय 100/- (एक सौ रूपया) प्रति व्याख्यान (अधिकतम 400/- चार सौ रूपया प्रतिदिन) की दर से निर्धारित है। अधिक जानकारी हेतु विभागाध्यक्ष से संपर्क करें। यह अध्यापन व्यवस्था दिनांक 28/02/07 तक अथवा प्राध्यापक / सहायक प्रध्यापक की नियमित पदस्थापना दिनांक तक, जो भी पहले हो पूर्णतः अस्थाई रूप से जारी रहेगी।

अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे। अतिथि लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जाएंगे।

क्रमांक: 1456
प्रति,

दिनांक: 8-9-17

नाम: डॉ. मनीषा जैन

पिता / पति: श्री सकल्प जैन

पता: 314 रूम, डी मार्केट, पुरानी चरहाई, जवाहर गंज जबलपुर (M.P.)

विषय : आपके ऑनलाइन आवेदन के अनुक्रम में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रण की सूचना: प्रथम चरण।

सन्दर्भ : आपका आवेदन क्रमांक 508988 दिनांक 05.09.17

—0—

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको इस महाविद्यालय में सायन शास्त्र विषय पर व्याख्यान देने हेतु सहमति हुई है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र 2017-18 में अतिथि व्याख्यान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :

1. यह कि आपको 45 मी. से 55 मी. के एक कालखंड के व्याख्यान के लिए रुपए 275/- तथा एक कार्यदिवस हेतु अधिकतम 825/- देय होगा। एक कार्य दिवस में अधिकतम 04 व्याख्यान तक आपको आवंटित किये जा सकते हैं।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए ही सीमित होगा।
3. आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
4. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
5. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक 05 से 09 सितम्बर, 2017 (सायं 5 बजे तक) तक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।
7. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों द्वारा पुनः सत्यापन करना होगा।
8. आपको शासन के आदेश क्र: 969/एफ-1-9/2016/38-1 दिनांक 8 अगस्त, 2016 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन व्याख्यान के लिए आमंत्रण किया जा रहा है।
9. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण-प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेशों के अध्याधीन है।

S.M.
8-9-17

शास. जनभागीदारी समिति,
महिला महाविद्यालय, जबलपुर
दिनांक : 8-9-17

पृ० क्रमांक 1457

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, JABALPUR भाग, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यालयीन प्रति

X. Singh

S.M.
8-9-17

जनभागीदारी समिति,

प्राचार्य

शास. मो. ए. गृहविज्ञान एवं विज्ञान
महिला महाविद्यालय, जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
=====

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 1993.

क्रमांक एफ-1/140/93/ए-1/38 रसायनशास्त्र विभागीय सम संकेतक आदेश दिनांक 30.9.93 द्वारा निम्नलिखित नवनिष्कृत महाप्रोपाध्यापकों की नियुक्तियों में आंशिक संशोधन करते हुए उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये महाप्रो में पदस्थ किया जाता है। साथ ही इनके इनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि में दिनांक 30.10.93 तक वृत्ति की जाती है।

क्र० नाम	वर्तमान महाप्रो में पदस्थापना संशोधित महाप्रो में पदस्थापना
1. श्री अरूणा सिंह	शासो स्नातकोत्तर महाप्रो शाजापुर शासो महाप्रो सिहोरा जबलपुर
2. श्रीमती मंजू गुप्ता	शासो महाप्रो गुजालपुर शासो गृह विज्ञान महिला महाप्रो जबलपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

हीरालाल त्रिवेदी

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 19/10/1993.

पृ०क्र० एफ-1/140/93/ए-1/38 रसायनशास्त्र

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म०प्र०, भोपाल।
2. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म०प्र०।
3. प्राचार्य, शासो महाप्रो शाजापुर/गुजालपुर/सिहोरा/जबलपुर, म०प्र०।
4. संबंधित अधिकारी।
5. निज सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा, म०प्र०।

19.10.93

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

उपाध्याय //

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 93

क्रमांक एफ-1/140/93/ए-1/38 रसायनशास्त्र लोक सेवा आयोग द्वारा निम्न-
लिखित अभ्यर्थियों को स्थानापन्न सहायक प्राध्यापक रसायनशास्त्र के पद पर
वेतनमान रु 2200-75-2800-100-4000 में आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप
से उनके नाम के समक्ष दर्शित स्थान पर नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति
पूर्णतः अस्थाई है तथा किसी भी समय बिना सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

क्र० नाम एवं वर्तमान पंता महाविद्यालय जहाँ पदस्थ किया
जाता है।

1 2 3

कार्विनिक

1. श्रीमती भीता चतुर्वेदी शास. एम. व्ही. एम. महाविद्यालय भोपाल
आपाती सहायक प्राध्यापक
द्वारा श्री सुशील मिश्रा,
डो-24, 74 बगले भोपाल
2. कु० निवेदिता शास. महाविद्यालय सिहोरा जवेलपुर
द्वारा डा. यू. डी. एन. वाचपेयी
रसायनशास्त्र विभाग,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय
जवेलपुर म०प०
3. श्री अर्पण भारद्वाज शास. नेहरू महाविद्यालय बुटार शहडोल
सहायक प्राध्यापक
शास. महा. बुटार शहडोल
4. डॉ० कुमारी रत्ना पाठक शास. महा. गाडखाड़ा नरसिंहपुर
आपाती सहायक प्राध्यापक
द्वारा श्री एन. डी. पाठक,
615 अ-पश्चिमी धामापुर
जवेलपुर म०प०
5. कु० श्रवणा साहा शास. महा. पाटन दुर्ग
द्वारा श्री के.पी. साहा,
प्लॉट '9' ब्लॉक 17 नेहरू नगर
इंस्टीट्यूट ऑफ एम. ए. एफ लॉडिन
भिलाई दुर्ग

निरंतर//2//

14. कु० भंजु गुप्ता
द्वारा अपर गृह निर्माण आरुक्त,
म०प० गृह निर्माण मण्डल
हाथीताल जबलपुर । शास. महा. सिद्धोरा, जबलपुर
प्रत्यापक के विरुद्ध
15. कु० अलका शर्मा
द्वारा श्री एच. सी. शर्मा
शहोद भगतसिंह चौक शारदा
जलपान गृह के पास टिकरापारा
रायपुर, म०प० शास. स्वयंसेवक कन्या महा. रायपुर
16. कु० नीलिमा प्रधान
100 वीं विनायक अपार्टमेन्ट
वी. एन. 102 राजेन्द्रनगर इन्दौर शास. स्नातकौत्तर महा० खडवा
17. श्री विलास राव शंकरराव
प्लॉट नं. 201 माडल टाउन
पो० एम. ए. एफ. लाइन भिलाई नगर
इंदौर शास. महा. कोण्डागांव इंदौर
18. डब्ल्यू श्रीमती शोभा शुक्ला
आपाती महा०प०
द्वारा डा० पी. सी. शुक्ला,
एफ 84 वार्डन्स बंगला वेटेरिनरी
कालेज महुइन्दौर शास. पी. जी. महा० महुइन्दौर
20. श्री पवन शंकर तिवारी
8/12 लेखानगर रिज रोड
जबलपुर, म०प० शास. महा० डिण्डौरी मण्डला
21. श्री कौशल कुमार मिश्र
द्वारा श्री डी. एल. मिश्र
वार्ड नं. 13 विप्राभ गृह के
पोछे जांजगीर विलासपुर, म०प० शास. स्नातकौत्तर महा० अंधिकापुर
सरगुजा
22. कु० पुष्पा भुलचन्दानी
एम. आर्. जी. 3 ए रोनागोरी
भेल भोपाल शास. स्नातकौत्तर महा० तीहोर
23. श्री गेन्दा सिंह
लेव नं. 41 कैमिस्ट्री विभाग
वनारस डिन्डू विश्वविद्यालय
वाराणसी, म०प० शास. महा. अभरपाटन सतना

//निरंतर//5//

12/9/11
विभाग
मध्य प्रदेश

1. प्रोभती प्रतिभा जैन शा. नं. 10, राजाजी भिडोना, विभाग
द्वारा श्री विद्यार्थन सभा जैन
श्याम भवन जैन, राजाजी भिडोना
मैनपुरी, उतरप्रदेश

2/ नियुक्त पत्राशो को जिला शिक्षाालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य
प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

3/ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, शिक्षण श्रेणी के पत्राशियों
के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है। उक्त श्रेणी के पत्राशियों
को उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य
होगा।

4/ पदभार ग्रहण करते समय आजू एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र
प्रस्तुत करना होगा एवं साथ छाया प्रतियां सत्यापित करना होगा। सत्यापन के
पर्याप्त मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिया जायेगा।

5/ नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को दिनांक 28 अक्टूबर 93 तक पदस्थापन
पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना
जावेगा। शासकीय अक्षासकीय विभागों/निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति
के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

30-10-93
श्री. होरालाल त्रिवेदी
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 93

पृ० क्रमांक एफ-1/148/93/ए-1/38.

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर को ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्य प्रदेश स्वचालित
4. निजी सचिव, महालेखाकार, एम. एन.
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त सचिव, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश
6. संबंधित प्राचार्य शास. महाविद्यालय
7. संबंधित मण।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक: 164

दिनांक 05-09-18

प्रति,

नाम: Dr. Nisha-Singh
पिता/पति: Mr. Narendra Pratap Singh
पता: Raksha Nagar, Ramjui, Jabalpur (M.P.)

विषय: आपके ऑनलाइन आवेदन के अनुक्रम में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रण की सूचना:
सन्दर्भ: आपका आवेदन क्रमांक 526137 दिनांक- 30/07/2018

.....0.....

विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको इस महाविद्यालय में **Chemistry** विषय पर व्याख्यान देने हेतु सहनति हुई है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र 2018-19 में अतिथि व्याख्यान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :

1. यह कि आपको 45 मि. से 55 मि. के कालखंड के व्याख्यान के लिए एक कार्यदिवस हेतु रूपए 1500/- देय होगा। एक कार्य दिवस में अधिकतम 04 व्याख्यान तक आपको आवंटित किये जा सकते हैं।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए ही सीमित होगा।
3. आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
4. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
5. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक 06/09/2018 (सय 5 बजे तक) तक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निश्चित दिनांक तक उपस्थित न होने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जाएगा।
7. आवेदक महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों द्वारा पुनः सत्यापन करवाया जाएगा।
8. आमंत्रण प्रमाण के आदेश क्र 969/एफ-1-9/2016/38-1 दिनांक 08 अगस्त 2016 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अन्तर्गत व्याख्यान के लिए आमंत्रण किया जा रहा है।
9. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेशों के अध्याधीन है।

सचिव

जनभागीदारी समिति,

शास.महाविद्यालय देवतालवा,

रीवा (म.प्र.)

दिनांक: 05-09-18

पृ. क्रमांक 165

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग रीवा, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यालयीन प्रति।

सचिव

जनभागीदारी समिति,

शास.महाविद्यालय देवतालवा,

रीवा (म.प्र.)

कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय- शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर

क्रमांक 3775

दिनांक 02.09.2020

प्रति,

डॉ प्रमेश कुमार बोहरे
पिता श्री राम कुमार बोहरे
14 साई सुबह परिसर
संजीवनी नगर गढा जबलपुर म.प्र.
पिन कोड 482002, मो न 9826841047

विषय - अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया 2020-2021 के संबंध में आमंत्रण पत्र विवरक
संदर्भ - आपका आवेदन क्रमांक 112073 Date

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है आपको शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर में रसायनशास्त्र विषय हेतु अतिथि विद्वान के रूप में आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि, आपको शैक्षणिक सत्र 2020-2021 में अतिथि विद्वान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा।

यह आमंत्रण पत्र निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा : -

1. आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण कार्य किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेज आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है।
2. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कंडिका 5.1 अनुसार होगा।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 अर्थात् 30 जून 2021 तक के लिए सीमित होगा।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में स्पष्ट पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक 10 सितम्बर 2020 तक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।
8. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा।
9. आपको शासन को आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।

क्रमांक 3776

प्रतिलिपि

1. क्षेत्रीय अति संवा उशि, जबलपुर संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यालयीन प्रति।

सचिव,
जनभागीदारी समिति
जनभागीदारी समिति
दिनांक (स्वशासी) मो. ह. गृहविज्ञान
एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय
जबलपुर (म.प्र.)

सचिव,
जनभागीदारी समिति
प्राचार्य/सचिव
जनभागीदारी समिति
शास. (स्वशासी) मो. ह. गृहविज्ञान
एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय
जबलपुर (म.प्र.)



स्ववित्तीय योजना अन्तर्गत सत्र 2016-17 में अध्यापन व्यवस्था हेतु

कमांक 1257 ज भा/स्व. वि./16

जबलपुर दिनांक 1.8.16

प्रति, ✓
डॉ. प्रियंका पाराशर
श्री प्रमेश कुमार पाराशर
14-15, साई शुभ परिसर, दुर्गा कॉलोनी,
सजीवनी नगर गढ़ा जबलपुर म.प्र.
फोन न. 9926493877

विषय : अतिथि विद्वान व्यवस्था हेतु

संदर्भ : पत्र कमांक/557/अ.वि., जबलपुर दिनांक 26.5.2016

महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु जनभागीदारी समिति से अनुमोदित अतिथि विद्वान व्यवस्था के अंतर्गत विषय रसायनशास्त्र की प्रावीण्य सूची के आधार पर आपको आमंत्रित किया जाता है।

1. शासकीय नियमानुसार आवश्यकता न होने पर बिना कारण बताये यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी, सचिव जनभागीदारी समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
2. अतिथि विद्वानों के अनुभव प्रमाण पत्रों का प्रमाणीकरण जारीकर्ता महाविद्यालय के प्राचार्य से पुष्टि के उपरान्त ही यह आमंत्रण पत्रमान्य होगा। आवेदक द्वारा कूट रचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409/420 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
3. अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत एवं लोकसेवक की विधि विहित परिभाषा के अन्तर्गत लोकसेवक नहीं माने जावेंगे।
4. इस अध्यापन व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।
5. अतिथि विद्वान सत्र में अन्य महाविद्यालयों में कार्य नहीं कर सकेंगे एवं इन्हें किसी भी संस्था में अवैतनिक कार्य करने हेतु विभागाध्यक्ष की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
6. उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के निर्देशानुसार अन्य नियम/शर्तें मान्य होंगी।
7. प्रत्येक 45 मिनट के एक दिन में अधिकतम आवश्यकतानुसार 4 कालखण्ड के लिए मानदेय 155 रुपये दिया जावेगा।

आप निम्नलिखित समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं शपथ पत्र के साथ दिनांक 30 जुलाई 2016 को या उसके पूर्व पूर्वान्ह 11:00 बजे महाविद्यालय के रसायनशास्त्र विभाग कक्षा कमांक 110 में उपस्थित होवें अन्यथा यह आमंत्रण स्वमेव निरस्त हो जायेगा।

1. आमंत्रण की मूल प्रति।
2. अर्हता संबंधी समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के अतिथि विद्वान नवीन आय प्रमाण पत्र की प्रति।
3. अतिथि विद्वान द्वारा निम्नलिखित आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही आमंत्रण पत्र मान्य करते हुए व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
 - कि मेरे विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
 - कि मैं किसी शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय संस्थान में सेवारत/कार्यरत नहीं हूँ।
 - कि मैंने इस सत्र में किसी अन्य महाविद्यालय का अतिथि विद्वान आमंत्रण स्वीकार नहीं किया है।

X. Singh
डॉ. किरण सिंह
संयोजक
अतिथि विद्वान समिति

Raxena
डॉ. रश्मि सक्सेना
विभागाध्यक्ष

Shrivastava
सचिव/प्राचार्य

प्राचार्य

शास. मो. ह. गृहविज्ञान एवं विज्ञान
महिला महाविद्यालय, जबलपुर

कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय- शास. मो.ह.गृहविज्ञान एव विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर

क्रमांक 3072
प्रति

दिनांक 5.9.22

✓ श्री सीमा रानी
श्री नरेश कुमार
फ्लैट न 107 सोनिया अपार्टमेंट
सिविल लाइन जबलपुर मो न 8901309722

विषय - अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया 2022-2023 के संबध में आमंत्रण पत्र विषयक
शर्तों - आपका आवेदन क्रमांक 21050066 Date 02.9.22

विषयानुसार एतद द्वारा सूचित किया जाता है आपका शास. मो.ह.गृहविज्ञान एव विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर में रसायनशास्त्र विषय हेतु अतिथि विद्वान के रूप में आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि, आपको शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में अतिथि विद्वान हेतु आवश्यकता पडने पर महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा।


यह आमंत्रण पत्र निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :

1. आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण कार्य किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेज आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है।
2. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कडिका 5.1 अनुसार होगा।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022-23 अर्थात् 30 जून 2023 तक के लिए सीमित होगा।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र एव पुलिस या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण न होने सबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय, अद्वैताधीन, अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक 06-09-2022 तक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।
8. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा।
9. आपको शासन को आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एव शर्तों के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।

क्रमांक 3073
प्रतिलिपि

1. शैक्षणिक अति सचिव उशः जबलपुर संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यालयीन प्रति।




सचिव
Principal :-
जनभागीदारी समिति
Govt. M. H. College of Home Sc. &
Co. For Women, Jabalpur
दिनांक 5.9.22


सचिव,
जनभागीदारी समिति
Principal
Govt. M. H. College of Home Sc. &
Co. For Women, Jabalpur

कार्यालय, प्रान्त,
महाराष्ट्र शासक महाराष्ट्र शासन शिक्षण विभाग,
जिला - अजमेर (राज.)

क्रमांक - 192-87

आदेश सिरोहा, डि.

महाराष्ट्र शासन शिक्षण विभाग व 2-10-30 F. (43)
7915-5/20 डि 23-12-81 के द्वारा प्रदत्त आदेशों
37 प्रयोग करते हुए कुल प्रदत्त आदेशों 39 नियुक्ति
दस्तावेजों के विषय में व्याख्याता पद वर्तमान
700-1600 के न्यूनतम पर डि 1-10-81 से 31 मई 82
तक मा. 3-12 पर पद लोफ लेना आदेशों द्वारा पुनः गये
उम्मीदवार 39 नियुक्ति पत्र - अधिका-रीचर इलोरीप/
अध्यक्ष आदेशों से लौटने वाले व्याख्याता 39 पद लोफ
ले आदेशों शासन के फल आदेशों होने लगे जो भी
पहले से आदेशों के तदर्थ दिये गये 39 आदेशों

राज्य शासन
महाराष्ट्र शासन
जिला - अजमेर (राज.)

क्र. 1643 181-87

सिरोहा, डि 1-10-82

प्रतिनिधि,

- 1) कुल प्रदत्त आदेशों, आदेशों 39 लक्ष्मीनारायण
आदेशों विद्यालय काजूर सिरोहा जे लखनपुर
- 2) आदेशों, आदेशों, महाराष्ट्र शासन उच्च शिक्षण विभाग
व लक्ष्मी अजमेर भीवाल जे लखनपुर
- 3) महाराष्ट्र शासन, आदेशों 39 लखनपुर
- 4) महाराष्ट्र शासन के लोखवापाला लखनपुर
आदेशों 39 लखनपुर
- 5) आदेशों लखनपुर

(Signature)
11/10/82



श्रीमान नौदरी महोदय-सिहोरा म०१००

शापथत्र

श्रीमती मृदुला दुबे पत्नी श्री अनूप कुमार दुबे उम्र 33 वर्ष, निवासी 1817 राइट हाउस जबलपुर म०१०० हाल मुकाम खितौला बाजार सिहोरा तहसील सिहोरा जिला जबलपुर निम्नलिखित कथन शापथपूर्वक करती हूँ-

1) मैं श्री लक्ष्मीनारायण अवस्थी की पुत्री हूँ अतः मेरा सरनेम "अवस्थी" मेरे विवाह पूर्व था मेरे स्कूल काल के कागजातों में भी अवस्थी सरनेम ही है।

2) मेरा विवाह दिनांक 18-5-86 को श्री अनूप कुमार दुबे निवासी 1817 राइट हाउस जबलपुर म०१०० वालों से हुआ है।

3) हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह के बाद मेरा सरनेम मेरे पति के सरनेम "दुबे" हो गया है।

4) विवाहोपरान्त मैं श्रीमती मृदुला दुबे हो गई हूँ अतः मेरा यही नाम और सरनेम है।

5) यह शापथत्र सरनेम बदलने के कारण कागजातों में भी यही सरनेम दुबे कराने के लिए रही है।

शापथकर्ता
M. Dubey

सत्यापन

श्रीमती मृदुला दुबे पत्नी श्री अनूप कुमार दुबे उम्र 33 वर्ष - खितौला बाजार सिहोरा तहसील सिहोरा जिला जबलपुर तस्दीक करती हूँ कि उपरोक्त शापथत्र में पैरा 1 से 5 के अंश मेरी निजी जानकारी से सत्य वा सही है। तस्दीक कर दस्तखत किया दिनांक

-1-94 सिहोरा

शापथकर्ता
M. Dubey

कर्मचारी प्रार्थना, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिवनी (मध्य 0) :-
=====

क्रमांक

/83

सिवनी, दिनांक 25/10/83
8/11/83

// आ दे ह //

इस कर्मचारी के पत्र क्रमांक 2056 21-21/83 दिनांक 13/10/83 के तारतम्य में
सर्व मध्य 0 उत्तम उच्च शिक्षा बोर्ड के पत्र क्रमांक 1/83/79/उ-3/20 दिनांक 1/3/83
सर्व 25/10/82 के अनुसार कुल सुभाष चर्मा प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से
तदर्थ व्याख्याता रसायन शास्त्र के रिक्त पद पर वेतनमान 700-1600 में 6 महीने की
अवधि के लिये अर्हता निर्धारित की जाती है।

यदि नियुक्ति पूर्वतः अर्हता रहेगी तथा उत्तम द्वारा नियुक्त होने पर
के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने या निर्दिष्ट व्याख्याता के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने
अथवा अन्य कारणों तक जोड़ी पाई होंगे उसे ही लिये होगा तथा इनमें से कोई भी
पाई नहीं होनी पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाएँ स्वयंसेवक समझत
की जायेगी।

SD/

प्राचार्य

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सिवनी

पृ. क्रमांक 2235/83

सिवनी, दिनांक 8-11-83

प्रतिलिपि //

- (1) प्रारंभिक मध्य 0 उत्तम उच्च शिक्षा बोर्ड के पत्र क्रमांक 1/83/79/उ-3/20 दिनांक 1/3/83 के तारतम्य में
- (2) महाविद्यालय मध्य 0 उत्तम उच्च शिक्षा बोर्ड के पत्र क्रमांक 1/83/79/उ-3/20 दिनांक 1/3/83 के तारतम्य में
- (3) संबंधित अध्यापक
- (4) व्यक्तिगत फंजी
- (5) ले. कमाल, शास. मध्य 0 सिवनी
- (6) वेतन धेयक
- (7) तदर्थ नियुक्ति फंजी

प्राचार्य

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सिवनी

// आ दे ह //